

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-6/अ0-03-30/2022

पटना, दिनांक—

श्रीमती भावना श्री, राज्य-कर उपायुक्त (60-62वीं बैच), पटना दक्षिणी अंचल-1, पटना को उनकी प्रथम संतान के लिए बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 के नियम-220 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2498 दिनांक-12.04.2007 के अन्तर्गत दिनांक-12.02.2026 से 10.08.2026 तक कुल 180 दिनो का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(नीतू सिंह)

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-30/2022 1514

पटना, दिनांक- 05/05/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्र0), पटना पश्चिमी प्रमण्डल, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त(प्रभारी), पटना दक्षिणी अंचल-1, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती भावना श्री, राज्य-कर उपायुक्त (60-62वीं बैच), पटना दक्षिणी अंचल-1, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नीतू
04-05-26

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।